

सी-डैक, नोएडा छात्रावास

के

नियम और विनियम

प्रगत संगणन विकास केन्द्र

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार)
बी-30, सेक्टर -62, नोएडा 201 309 (यू.पी.)

छात्रावास के बारे में

सी-डैक, नोएडा का अपना छात्रावास है जोकि बी-30 सैक्टर 62, नोएडा परिसर के अंदर है। इसमें लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग लेकिन परस्पर जुड़े हुए दो स्कंध हैं और प्रत्येक स्कंध में दो-दो छात्रों के लिए सांझा 50 कमरे हैं जिनके साथ वातानुकूलित भोजन कक्ष और अन्य आधुनिक सुविधाएं भी हैं ताकि विद्यार्थी आराम से रह सकें।

छात्रावास का आवंटन

- छात्रावास का आवंटन केवल पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
- छात्रावास में प्रवेश पाने के लिए निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन सी-डैक, नोएडा की आधिकारिक वेबसाइट (www.cdac.in) पर उपलब्ध है।
- छात्रावास के लिए ऑनलाइन आवेदन संबंधित प्रोग्राम में दाखिला लेने के बाद ही वैध माना जाएगा। जो विद्यार्थी पाठ्यक्रम में दाखिल लेने से पहले आवेदन करते हैं उनके आवेदन पत्र को वैद्य नहीं माना जाएगा।
- अधूरे भरे हुए आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- जिन विद्यार्थियों के माता-पिता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रह रहे हैं उनको छात्रावास आवंटित नहीं किया जाएगा।
- पहले आओ पहले पाओ के आधार पर छात्रावास में दाखिला लेने के पात्र विद्यार्थियों की सूची कार्यक्रम (प्रोग्राम) शुरू होने के पहले सी-डैक, नोएडा की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी।
- आवेदक को नियत तारीख तक दिखिला लेना होगा अन्यथा उसकी सीट अगले विद्यार्थियों को आवंटित कर दी जाएगी।

छात्रावास में प्रवेश के संबंध में कार्यकारी निदेशक, सी-डैक, नोएडा निर्णय अंतिम होगा।

सामान-सूची

प्रत्येक निवासी के लिए एक मेज, कुर्सी, गद्दे के साथ खाट और एक आलमारी/शैल्फ तथा चालू हालत में बिजली की लाइट फिटिंग/फिक्स्चर की व्यवस्था की जाएगी। कमरे आवंटित करते समय निवासी को सामान सूची और उसके साथ संलग्न घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

शुल्क संरचना

(क)	औपचारिक पाठ्यक्रम (एम.सी.ए./एम.टैक./एम.बी.ए.)	
	कमरा प्रभार प्रति सेमेस्टर	रुपये 18,000/-
	मैस प्रभार प्रति सेमेस्टर	रुपये 12,000/-*
	जमानत राशि (वापसी योग्य)	रुपए 5,000/-@

(ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रम:

(i) एक महीने से कम की अवधि के लिए

कमरा प्रभार प्रति माह	रुपये 3,000/-
मैस प्रभार	रुपये 2,000/-*
जमानत राशि (वापसी योग्य)	रुपए 2,000/-@

(ii) एक महीने से तीन महीने की अवधि के लिए

कमरा प्रभार प्रति माह	रुपये 3,000/-
मैस प्रभार प्रति माह	रुपये 2,000/-*
जमानत राशि (वापसी योग्य)	रुपए 2,000/-@

(iii) और औपचारिक पाठ्यक्रम (पी.जी. डिप्लोमा कोर्स)

पूरी अवधि के लिए कमरा प्रभार	रुपये 18,000/-
पूरी अवधि के लिए मैस प्रभार	रुपये 12,000/-*
जमानत राशि (वापसी योग्य)	रुपए 2,000/-@

* On actual

@at the time of admission in hostel

टिप्पणी :

1. एम.सी.ए./एम.टैक/एम.बी.ए. और छह महीने से लेकर एक वर्ष की अवधि के व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए दाखिले के समय छ: महीने की अवधि के लिए रुपए 2000/- प्रति माह के दर से मैस शुल्क रुपए 12,000/- जमा करने होंगे। न्यूनतम राशि प्रति माह 1500 रुपये करनी होगी। वास्तविक रुपये के पश्चात यदि कोई राशि बची हो अथवा रुपए 500/-, इनमें से जो भी कम हो, बचे हुए महीनों की जमा राशि में जमा हो जाएंगे। विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम के पूरा होने के पश्चात संस्थान को अंतिम रुप से छोड़ते समय कैंटिन से मर्दों के लिए खरीद की बची हुई राशि का उपयोग कर सकता है लेकिन धन वापसी की अनुमति नहीं होगी। दूसरी ओर रुपए 12,000/- की खपत छ: महीने से पहले हो जाने पर विद्यार्थी को बैंक खालान के द्वारा रुपए 2,000/- प्रति माह के हिसाब से बची हुई अवधि के लिए अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। उपर्युक्त पद्धति का अनुसरण दूसरे और बाद के सेमिस्टरों में कमरे/मैस प्रभार की प्राप्ति और विनियमन के लिए किया जाएगा।

छात्रावास नियम और विनियम में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार अगर होस्टलर पूर्व सूचित कर 15 दिन से अधिक छहटी/अवकाश लेता है तो रुपये 750/- आगे के लिए जोड़ दिया जाएगा।

2. छात्रावास मैस का बिलिंग चक्र महीने की 16 तारीख से अगले महीने की 15 तारीख तक होगा। 15 अगस्त से पहले छात्रावास में आने वाले विद्यार्थियों से 1-15 अगस्त की अवधि के लिए न्यूनतम मैस प्रभार रुपए 750/- होगा।
3. छात्रावास शुल्क, मैस शुल्क, संपत्ति आदि को हुए नुकसान अथवा क्षति के संबंध में बकाया देय राशि का समायोजन करने के पश्चात जमानत जमा राशि यदि कोई हो तो, छात्रावास खाली करते समय निवासी को एन.आई.एफ.टी. द्वारा वापस की जाएगी।

कार्यकारी निदेशक, सी-डैक, नोएडा को समय-समय पर शुल्क में संशोधन करने का अधिकार है और ये संशोधन सभी निवासियों के लिए बाध्य होंगे।

भूगतान अनुसूची

औपचारिक पाठ्यक्रम के छात्रों को प्रवेश के समय पूरे सेमेस्टर के आवास, भोजन और एक बार जमानत जमा राशि का भुगतान करना होगा।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के मामले में छात्रों को प्रवेश के समय पाठ्यक्रम की अवधि के लिए पूरा भुगतान करना होगा।

छात्रावास के कमरों का आबंटन कोर्स की पूरी अवधि के लिए किया जाएगा। यदि कोई पाठ्यक्रम के बीच में ही छोड़ना चाहे तो शेष अवधि के लिए पहले से ही अदा किया गया छात्रावास प्रभार जब्त कर लिया जाएगा।

रहने की अवधि

(क) औपचारिक पाठ्यक्रम

छात्र नीचे दिए गए पाठ्यक्रमों की वैधानिक अवधि के लिए छात्रावास में रहने के पात्र होंगे :

1. एम. टेक. 2 वर्ष
2. एम.बी.ए. 2 वर्ष
3. एम.सी.ए. 3 वर्ष

होस्टलर (विद्यार्थी) को छात्रावास सुविधा जारी रखने के लिए कक्षा में कम से कम 90% उपस्थिति अनिवार्य है अन्यथा अगले सेमेस्टर से छात्रावास सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा।

औपचारिक पाठ्यक्रम के निवासी को कार्यक्रम के समापन के सात दिनों के भीतर आवास खाली करना होगा वशर्त की इसके लिए विशेष रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधि बढ़ाने की अनुमति न दी गई हो।

ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रम

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के निवासी पाठ्यक्रम की अवधि के लिए ही होस्टल आवास में रहने के पात्र होंगे । वशर्त की सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधि बढ़ाने की अनुमति न दे दी गई हो। फिर भी, बढ़ाई गई अवधि पांच दिन से अधिक नहीं होगी।

दाखिले का निरस्तीकरण

यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित में से कोई भी गलती करते पाया गया तो उसका दाखिला रद्द कर दिया जाएगा और उसे छात्रावास खाली करना होगा:

- i) छात्रावास या संस्थान परिसर में अनियंत्रित व्यवहार
- ii) अनुमति के बिना मेहमानों को रखना
- iii) असामाजिक गतिविधियाँ
- iv) शरारत, जिसके कारण छात्रावास संपत्ति को क्षति पहुंची हो
- v) सी-डैक, नोएडा का छात्र न रहने पर

नियम और विनियम

छात्रावास के निवासियों को निम्नलिखित नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी जाती है :

सामान्य जानकारी

- 1) छात्रावास निवासी के लिए दाखिले के फार्म में अपना नाम, पता, संपर्क नम्बर और अपने माता-पिता और स्थानीय अभिभावक का नवीनतम फोटो देना अनिवार्य है। छात्रों को उनके माता-पिता /स्थानीय अभिभावक से लिखित अनुरोध के साथ छात्रावास से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी/ वर्षते की अधिकारी इस संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट हों।
- 2) जिन विद्यार्थियों को कमरे आबंटित किए गए हैं वे सभी छात्र सी-डैक, नोएडा से वैध पहचान पत्र प्राप्त करेंगे और छात्रावास परिसर में जाने के लिए इसे दिखाएंगे।
- 3) सभी छात्रों को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष सत्र की शुरुआत में अपने घर के पते के बारे में एक नया घोषणा पत्र पेश करना होगा।
- 4) छात्रावासी के माता-पिता द्वारा अपना निवास बदल लेने पर इस बारे में उनको एक सप्ताह के भीतर छात्रावास कार्यालय में सूचित कर देना चाहिए।
- 5) निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे छात्रावास प्रशासन द्वारा जारी शुल्क भुगतान अनुसूची का अनुपालन करें अन्यथा विलम्ब शुल्क रूपए 50/- प्रतिदिन के हिसाब से लिया जाएगा।
- 6) महिला निवासियों के लिए लड़कों के ब्लॉक में प्रवेश करना बिल्कुल मना है। इसी तरह, पुरुष निवासियों को लड़कियों के ब्लॉक में प्रवेश करना भी बिल्कुल मना है। इस संबंध में किसी भी प्रकार का उल्लंधन निवासी को बिना किसी सूचना के छात्रावास से हटाने और संस्थान से निष्कासित करने का उपयुक्त और अकाट्य आधार होगा।
- 7) सभी निवासियों को छुट्टी/छुट्टियों के दौरान छात्रावास छोड़ने से पहले लिखित आवेदन द्वारा पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- 8) सभी निवासी स्वागत कक्ष में पड़े/सुरक्षा गार्ड के पास रखे संचालन रजिस्टर में अपनी गतिविधियों (अंदर आने/बाहर जाने) की प्रविष्टियाँ करेंगे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का उल्लंधन होने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाई की जाएगी।

9) सभी निवासी गर्मियों (अप्रैल से सितम्बर) में रात को ठीक 9:00 बजे तक और सर्टियों में (अक्टूबर से मार्च) में रात ठीक 8:30 तक हर हालत छात्रावास में होंगे वशर्ते कि विशेष रूप से लिखित में अनुरोध न किया गया हो और विभागाध्यक्ष और वार्डन द्वारा पर्याप्त कारणों से अनुमति प्रदान न की गई हो। यदि कोई निवासी समय का अनुपालन नहीं करता तो उस पर रुपए 1000/- जुर्माना किया जाएगा और इसके पश्चात उल्लंधन करने पर छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।

10) निवासी परिसर में खेल मैदान का उपयोग शाम से लेकर रात के 9:00 तक ही कर सकते हैं।

11) प्रत्येक विद्यार्थी को अपना तकिया, कंबल, लिनन, पानी की बाल्टी और जग लाना होगा।

12) सभी निवासी रात को 10:00 बजे तक अपने-अपने कमरों में होंगे और उसके पश्चात वे कैफेटेरिया, लाउंज, मनोरंजन कक्ष, कॉमन रूम तथा स्वागत कक्ष आदि में नहीं जाएंगे।

13) विद्यार्थियों को एक बार सीटे आबंटित हो जाने के पश्चात यदि कोई विद्यार्थी आपसी सहमति से अन्य विद्यार्थी के साथ अपनी सीट बदलना ताहता है तो यह छात्रावास वार्डन की अनुमति से ही बदली जा सकती है।

अनुशासन

1) छात्रावास/संस्थान परिसर में रैगिंग गैर कानूनी है। इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए गए किसी भी निवासी को संस्थान से निष्कासित करने के अलावा पुलिस को सौंपा जा सकता है।

2) कॉमन रूम की सुविधा केवल रात को 10:00 तक होगी।

3) दिवा-विद्यार्थियों को विद्यार्थी स्कंध में जाने की अनुमति नहीं है। किसी भी दिन कोई भी विद्यार्थी छात्रावास के कमरे में जाता हुआ पाया जाता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाई की जाएगी।

4) प्रत्येक विद्यार्थी कमरे, उसे आबंटित किए गए साज-सामान और फर्नीचर की देखभाल के लिए जिम्मेदार है। कमरे में से कोई फर्नीचर बाहर नहीं निकाला जाएगा। इसी प्रकार, वार्डन की पूर्व अनुमति के बिना कोई फर्नीचर कमरे में नहीं लाया जाएगा। निवासी की वजह से हुए नुकसान और क्षति की वसूली उससे की जाएगी।

5) निवासी परिसर के भीतर, शौचालय, आम जगहों, लॉन और छात्रावास के आसपास के क्षेत्रों में सफाई बनाए रखेंगे। फोटोग्राफ, चित्र आदि कमरों/गलियारों की दीवारों पर चिपकाए या प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे।

6) यदि कोई वर्जित वस्तु, जैसे- हीटर, पानी गर्म करने की रॉड, आयरन स्टोव, इलैक्ट्रिक केतली कमरे में पाए गए तो कमरा जब्त कर लिया जाएगा और इसके अलावा, उल्लंधन के लिए कम से कम रुपए 1000/- जुर्माना किया जाएगा। इस संबंध में वार्डन/निरीक्षण समिति का निर्णय अंतिम होगा।

- 7) निवासियों से हर समय यह अपेक्षा की जाती है कि वे अन्य निवासियों के आराम और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए अच्छा व्यावहार करेंगे। कोई भी निवासी अपने कमरे/परिसर में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे दूसरों को असुविधा हो।
- 8) यदि पड़ोसियों और कमरे के साथी को कोई आपत्ति न हो तो कमरे में म्युजिक सिस्टम कम आवाज पर लगाया जा सकता है। इन नियमों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के कारण इन वस्तुओं को जब्त किया जा सकता है।
- 9) प्रत्येक विद्यार्थी अपने कमरे से बाहर जाते समय पर्खे और बत्ती का स्विच बंद कर देगा।
- 10) धूमपान, तंबाकु का सेवन, मादक पेय लेने अथवा किसी भी अन्य नशीली दवाओं का सेवन बिल्कुल मना है। यदि कोई निवासी ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसका पहले से ही अदा किया छात्रावास प्रभार जब्त कर लिया जाएगा और छात्रावास खाली करने के लिए कहा जाएगा।
- 11) कोई भी निवासी जिसने कोई शराब/मादक पदार्थ चाहे छात्रावास के बाहर कहीं से ली हो उसे छात्रावास में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 12) निवासी छात्रावास परिसर के अंदर समूह बैठकों, पार्टीयों या सम्मेलनों का आयोजन नहीं करेंगे।
- 13) निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कमरे में कीमती सामान न रखें। प्रबंधन किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 14) कोई भी निवासी रात को 8:00 बजे के बाद छात्रावास से बाहर नहीं जाएगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
- 15) हर रोज रात को 10:05 बजे हाजिरी ली जाएगी और सभी छात्रों को उपस्थिति होना चाहिए। यदि कोई भी विद्यार्थी रात को 10:00 बजे तक छात्रावास में प्रवेश नहीं करता तो उस पर रुपए 500/- जुर्माना किया जा सकता है।
- 16) गैर औपचारिक पाठ्यक्रम में भर्ती छात्रों को पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद तीन दिन के अंदर छात्रावास खाली कर देना चाहिए।
- 17) निवासी के माता-पिता/अतिथि/अभिभावक छात्रावास परिसर के लिए केवल स्वागत कक्ष तक आ सकते हैं। किसी भी आगंतुक या माता-पिता/अभिभावक को छात्रावास के कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
- 18) निवासी किसी भी विक्रेता या छात्रावास परिसर के अंदर अनाधिकृत व्यक्ति से बातचीत नहीं करेगा।
- 19) छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे व्याख्यान, ट्यूटोरियल, गोष्ठियों, गौण परीक्षाओं आदि में भाग लेंगे। यदि छात्रावास में रहने वाला कोई भी विद्यार्थी कक्षाओं में उपस्थित नहीं होता अथवा प्रायः अपनी कक्षाओं में उपस्थित नहीं होता, उसे छात्रावास खाली करने के

लिए कहा जा सकता है क्योंकि छात्रावास की सुविधा उनको कक्षाओं में उपस्थित रहने के लिए दी जाती है न कि कक्षाएं छोड़ने के लिए।

- 20) यदि कोई निवासी छुट्टियों के अंत में छात्रावास प्रशासन को बिना कोई अंतिम सूचना और अपने मातापिता से विधिवत् सत्यापित वैद्य कारण के बिना निर्धारित तारीख तक वापस नहीं आता तो छात्रावास सीट किसी अन्य विद्यार्थी को आवंटित कर दी जाएगी।
 - 21) वार्डन निरीक्षण समिति द्वारा किसी भी छात्र के कमरे का निरीक्षण किसी भी क्षण किया जा सकता है।
 - 22) विद्यार्थियों को छात्रावास में आने से पहले और छात्रावास छोड़ने से पहले अपने सामान की जांच करा लेनी चाहिए।
 - 23) विद्यार्थियों से यह आशा की जाती है कि वे छात्रावास परिसर में फर्नीचर, बिजली, नल-साजी (Plumbing), सेनेटरी, साज-सामान फिटिंग आदि की देखभाल करेंगे। यदि कोई भी विद्यार्थी इन मदों को नुकसान पहुँचाते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
 - 24) प्रत्येक विद्यार्थी छात्रावास छोड़ते समय छात्रावास की संपत्ति ध्यानपूर्वक सौंप देगा और वार्डन से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा जोकि प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा। यदि कोई मद गुम जाती हो अथवा क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसकी लागत वसूली निवासी की जमानत जमाराशि से की जाएगी।
 - 25) प्रत्येक निवासी के लिए छात्रावास मैस सुविधा का लाभ उठाना अनिवार्य है। व्यक्तिगत खाना पकाना बिल्कुल मना है।
 - 26) मैस का समय निम्नलिखित होगा:-
- | नाश्ता | | दोपहर का भोजन | जलपान (शाम) | रात्रि भोजन |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| कार्यदिवस | अवकाश | सभी दिन | सभी दिन | सभी दिन |
| 8:00-9:30 AM | 9:00-10:00 AM | 1:00-2:30 PM | 5:30-6:30 PM | 8:30-9:30 PM |
- 27) कोई भी निवासी रसोईघर में प्रवेश नहीं करेगा और न ही रसोई अथवा रसोई घर के किसी कर्मचारी को हिदायत देगा। यदि मैस सेवाओं के संबंध में कोई शिकायत है तो, वार्डन के ध्यान में लाई जाए।
 - 28) छात्रावास की कोई भी संपत्ति किसी भी परिस्थिति में खाने के हाल से नहीं हटाई जाएगी।
 - 29) खाना असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर खाने के हाल से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। यह छात्रावास वार्डन की पूर्व अनुमति से ले जा सकता है।
 - 30) उपरोक्त छात्रावास नियम और विनियम के उल्लंघन से संबंधित किसी भी आदेश का अंतिम निर्णय वार्डन का होगा।

आगंतुक

हर रोज मिलने का समय सायं 5:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक है। माता-पिता और पहले से घोषित स्थानीय अभिभावक ही अपने बच्चे से मिल सकते हैं।

छुट्टी

विद्यार्थी को रात के लिए छात्रावास छोड़ने की अनुमति वार्डन द्वारा दी जाएगी बशर्ते कि माता-पिता/पहले से घोषित अभिभावकों द्वारा विधिवत सत्यापन के पश्चात आवेदनपत्र विभागाध्यक्ष द्वारा भेजी गई हो। रात को बाहर जाने के पश्चात आवेदनपत्र कम से कम 24 घंटे पहले माता-पिता पहले से घोषित स्थानीय अभिभावक से विधिवत सत्यापन के पश्चात विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित आवेदनपत्र वार्डन को प्रस्तुत करना चाहिए।

रात को बाहर जाने के लिए आवेदनपत्र कम से कम 24 घंटे पहले माता-पिता/पहले से घोषित स्थानीय अभिभावक से विधिवत सत्यापन के पश्चात विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित आवेदनपत्र वार्डन को सौंप देना चाहिए। प्रशासन को पूरा अधिकार है कि वह विद्यार्थी से कहे कि वह अपने माता-पिता/स्थानीय अभिभावकों से रात को बाहर रहने की अनुमति देने के लिए लिखित रूप से सत्यापन प्रस्तुत करें।

हम छात्रावास में आपके सुखद निवास की कामना करते हैं।